



7.8.24

वकील वादी उपस्थित । वादी स्वयं
उपस्थित । वादी/डायरी के डायरी-पत्र
पर पत्रावली को पेशी के लिफाफा
डायरी में निवेदन किया कि पक्षकार
के साथ उसका राजीनामा हो चुका



है। इसलिये पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही
नहीं चलता परन्तु अभी में नया वाड
उद्भूत करने की अनुमति के साथ वाडपत्र
विज्ञा करने का निवेदन किया।

अभी के आर्चना - पत्र पर पत्रावली के
वर्तमान स्तर पर रूपांतरित किया जाता
है। अभी नया वाड उद्भूत करने के
लिये स्वतंत्र रहेगा।

पत्रावली नम्बर से कम की आकर
वाड तफ्तील कारिबल दफतर है।

५
(रूपानि गुला)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
दिल्ली